

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2
संख्या-03/2020/134/अस्सी-2020-100 (8)/2020
लखनऊ दिनांक 15 मई 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम 58-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 7-क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल यह घोषणा करती हैं कि श्री कलुआराम पुत्र श्री निनुआराम, बसई, ताजगंज, तहसील एवं जिला आगरा के स्वामित्वाधीन नीचे ब्यौरेवार उल्लिखित क्षेत्र, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से विनिर्दिष्ट फल एवं सब्जियों के थोक सौदों हेतु 20 वर्ष की अवधि के लिये इस शर्त के साथ मण्डी उप स्थल होंगे कि नवीकृत बैंक प्रत्याभूति सम्पूर्ण अवधि के दौरान आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी :-

मण्डी उप-स्थल का खसरा एवं चौहद्दी

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, आगरा के मण्डी क्षेत्र में स्थित खसरा संख्या 2006, क्षेत्रफल 2420 वर्ग मीटर और खसरा संख्या 2007, क्षेत्रफल 2820 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल 5240 वर्ग मीटर

पूरब- श्री कालूराम की सम्पत्ति

पश्चिम- विशाल मेगामार्ट

उत्तर- नगला मेवाती मार्ग 18 मीटर चौड़ी

दक्षिण- फतेहाबाद मार्ग 30.48 मीटर चौड़ी

प्रतिबन्ध यह है कि कृषक विक्रेता से कोई मण्डी शुल्क प्रभारित नहीं किया जायेगा ।

डा० देवेश चतुर्वेदी

प्रमुख सचिव

पृष्ठांक संख्या:-03/2020/134(1)/अस्सी-2020-100 (8)/2020 तददिनांक :

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया दिनांक 15 मई 2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड 'ख' में प्रकाशनार्थ । कृपया उक्त गजट की 50 प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।
2. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ०प्र०।
3. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, आगरा/ श्री कलुआराम पुत्र श्री निनुआराम, बसई, ताजगंज, तहसील एवं जिला आगरा ।
5. सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, आगरा ।

आज्ञा से,

समर बहादुर

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shashan
Krishi Vipran Avam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-2

In Pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 03/2020/134/Eighty-2-2020-100(8)/2020 Dated 15May, 2020 .

NOTIFICATION

No.03/2020/134/Eighty-2-2020-100(8)/2020

Lucknow, Dated 15 May, 2020

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 7-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act No. XXV of 1964) read with rule 58-A of Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali 1965, the Governor is pleased to declare that the Area detailed below owned by Sri. Kaluaram S/O Sri. Nunua Ram, Basai, Tajganj, Tahsil and district Agra shall be Market Sub Yard for specified whole sale transaction of fruits and vegetables with effect from the date of publication of this notification in the Gazette for a period of 20 years with the condition that the renewed bank guarantee shall be provided during entire period by the applicant :-

Khasra and Boundaries of the Market sub-yard

Khasra No. 2006 area 2420 square meter and Khasra No. 2007 area 2820 square meter total area 5240 square meter located within the market area of krishi utpadan mandi samiti, Agra,

East : Property of Shri Kaluram.

West : Vishal Megamart.

North : Nagala Mewati Road 18 Metre wide.

South : Fatehabad Road 30.48 Metre wide.
--

Provided that no mandi fee shall be charged from agriculturist-seller.

By Order

Dr.Devesh Chaturvedi
Principal Secretary

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।